

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :— एफ 20(101 / 127)लोसू/आकाशि/2005/पार्ट-1/925-34 दिनांक :— 10-12-2020

आदेश

मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 20(84)प्रसू/सूअप्र/2009/पार्ट दिनांक 23-11-2020 की अनुपालना में इस विभाग के राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को तुरन्त प्रभाव से RTI Portal का “नोडल अधिकारी” नियुक्त किया जाता है।


(संदेश नायक)
आयुक्त

क्रमांक :— एफ 20(101 / 127)लोसू/आकाशि/2005/पार्ट-1/925-34 दिनांक :— 10-12-2020

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1 मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनके परिपत्र क्रमांक प. 20(84)प्रसू/सूअप्र/2009/पार्ट दिनांक 23-11-2020 के संदर्भ में।
- 2 संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 5(1)शिक्षा-3/2019 दिनांक 1-12-2020 के संदर्भ में।
- 3 सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, ओटी.एस. परिसर, झालाना लिंक रोड, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
- 4 निजी सचिव, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 5 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपविधि परमार्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 7 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 8 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 9 लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय (विधि महाविद्यालयों सहित) राजस्थान।
- 10 वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।


(डा. के.एल. सिरोधरा)
10.12.2020
SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन समन्वयक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।